



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1940 (श10)
(सं0 पटना 768) पटना, शुक्रवार, 10 अगस्त 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2018

एस० ओ० 223, दिनांक 10 अगस्त 2018—बिहार वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का बिहार अधिनियम 11) की धारा-1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य-कर आयुक्त, यह घोषित करते हैं कि बिहार वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का बिहार अधिनियम 11) के सभी उपबंध दिनांक 10.08.2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2018-2350)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

10 अगस्त 2018

एस० ओ० 223, दिनांक 10 अगस्त 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-02/2018-2350)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 10th August 2018

S.O. 223 Dated 10th August 2018—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 1 of the Bihar Finance Act, 2018 (Bihar Act,11 of 2018), Commissioner Commercial Taxes is pleased to declare that all the provisions of Bihar Finance Act, 2018 (Bihar Act,11 of 2018) shall come into force with effect from the 10th day of August' 2018.

[(File No. Bikri kar/Sansodhan-2/2018-2350)]
By the order of Governor of Bihar,
DR. PRATIMA,
Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 768-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>